179

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 132737 पटना, दिनांक:- 17/12/12

ग्रा0वि0-5/इ0 आ0यो0(वि0अभि0)-102-13/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- इंदिरा आवास के लाभुकों को सहायता राशि भुगतान की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक 28 जुलाई 2012 एवं 12 अक्टूबर 2012 को प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर इंदिरा आवास के लाभान्वितों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान खाते के माध्यम से किया गया है ।

किन्तु कुछ लाभान्वितों से ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि बैंक खाते से राशि की निकासी पर स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा तब तक के लिए रोक लगा दी जाती है, जब तक कि लाभुक के द्वारा सामग्री का क्रय न कर लिया जाता है । कुछ मामलों में लाभुक के द्वारा चरणबद्ध तरीके से राशि की निकासी की अनुमति दी जाती है । कुछ दृष्टातों में पासबुक भी लाभान्वितों को नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई है । यह अत्यंत ही गभीर मामला है ।

उल्लेखनीय है कि लाभुक के खाते में राशि के हस्तांतरण कर देने के पश्चात उस पर लाभुक का अधिकार हो जाता है तथा वे अपने विवेक के अनुसार राशि की निकासी हेतु सक्षम हो जाते है ।

अत: निदेश दिया जाता है कि इसकी समीक्षा की जाय और यह सुनिश्चित किया जाय की किसी भी लाभान्वित को उसके खाते में हस्तांतरित की गई राशि का निकासी करने में कही भी कोई व्यवधान न हो ।

विश्वासभाजन

17/12
अमृत लाल मीणा
सचिव

ज्ञापांक:- 132737 पटना, दिनांक:- 17/12/12

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/12 सचिव ।

18/12